ऑन लाईन नं. RCMS 2020/00083

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार , आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 25/2020

1. छिन्द्र कौर पुत्री स्व० प्यारा सिंह, पत्नी जगमोहन सिंह जाति रायसिख निवासी खाटलबाना तह० व जिला श्री गंगानगर।

अपीलांटा

बनाम

1. जोगेन्द्र सिंह पुत्र स्व० प्यारा सिंह जाति राय सिख निवासी खाटलबाना चक 1 जे बडा तह० व जिला श्री गंगानगर।
2. लखविन्द्र सिंह पुत्र स्व० प्यारा सिंह जाति राय सिख निवासी खाटलबाना चक 1 जे बडा तह० व जिला श्री गंगानगर।
3. अनिल सिंह पुत्र स्व० प्यारा सिंह जाति राय सिख निवासी खाटलबाना चक 1 जे बडा तह० व जिला श्री गंगानगर।
4. वकील सिंह पुत्र स्व० प्यारा सिंह जाति राय सिख निवासी खाटलबाना चक 1 जे बडा तह० व जिला श्री गंगानगर।
5. नायब तहसीलदार (भू०अ०), हिन्दुमलकोट ।

– रेस्पोडेंटान

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार, हिन्दुमलकोट दिनांक 31.01.2020 जिसकी रूह से मुकदमा अनवानी जोगेन्द्र सिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार, मुकदमा न० 13/2020 में मृतक प्यारा सिंह की भूमि का इंतकाल वसीयत के आधार पर करने का आदेश पारित किया गया, बमुराद मनसूखियां।

उपस्थित :

1. श्री सुभाष मिढ़ढा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री दिनेश छाबड़ा अधिवक्ता , रेस्पोडेन्ट

:: आदेश :: दिनांक :–18.03.2025

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांटा के दादा खजान सिंह को भारत सरकार द्वारा भूमि आवंटन की गई थी, खजान सिंह के मरने के बाद प्यारा सिंह को चक 500 एल एन पी में 12 बीघा 10 बिस्वा रकबा प्राप्त हुआ तथा उस जमीन को बेचकर चक 500 एल एन पी के मु०न0 64 के किला न0 11,20,21 में 0.404 हैक्टेयर व मु० न० 68 के किला न0 5,6 में कुल 0.240 हैक्टेयर रकबा खरीद किया था। यह जमीन अपीलांटा के दादा से जो प्राप्त हुई थी, उसे बेचकर ही खरीद की थी। यह जमीन संयुक्त परिवार की थी, प्यारा सिंह का स्वर्गवास दिनांक 20.06.2019 को हो गया, जिसके जायज वारिसान उसकी पत्नी गुरमीत कौर, जोगेन्द्र सिंह, लखविन्द्र सिंह, गुरजंट सिंह व छिन्द्र कौर, स्वर्णजीत कौर, परमजीत कौर है। हिन्दु उतराधिकार

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

प्रकरण सं० 52

अधि० के तहत् प्रत्येक का 1/7 हिस्सा बनता था मगर रेस्पोंडेंट सं० 1 ता 4 द्वारा एक फर्जी वसीयत तैयार करके अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया मगर अधीनस्थ न्यायालय बिना अपीलांटा को सुने ही यकतरफा तौर पर रेस्पोंडेंटान के नाम इंतकाल दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, इस आदेश की जानकारी तब हुई जब अपीलांटा पटवारी हल्का 500 एल एन पी से जमाबंदी की नकल लेने के लिए गई तो पटवारी हल्का ने कहा कि प्यारा सिंह की अन्य कोई जमीन नहीं है, इस जमीन का तो आगे इंतकाल हो गया है। पता चलते ही उसी रोज पटवारी हल्का से इंतकाल की नकल मांगी तो पटवारी हल्का ने नकल दिनांक 29.07.2020 को दी, नकल लेकर वकील से सम्पर्क किया तो उन्होने नायब तहसीलदार, हिन्दुमलकोट को दिनांक 29.07.2020 को निर्णय की प्रमाणित प्राप्त करने के लिए दरख्वास्त दी, निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 29.07.2020 को मिली, अतः इलम से अपील अन्दर मियाद निम्नलिखित आधारों पर पेश की जा रही हैः–

1. यह कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है, गलत खिलाफ कानून, खिलाफ वाक्यात होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है।
2. यह कि प्यारा सिंह को वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था क्योकि उसने अपने पिता से प्राप्त भूमि बेचकर ही उपरोक्त रकबा खरीद किया था, इसलिए उपरोक्त भूमि प्यारा सिंह की स्वअर्जित भूमि नहीं थी, अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने योग्य है।
3. यह कि नायब तहसीलदार को इंतकाल तस्दीक करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था क्योकि पहले प्रार्थना–पत्र ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, अगर ग्राम पंचायत 45 दिन में इंतकाल नहीं करता तो फिर नायब तहसीलदार को अधिकार प्राप्त हो जाता मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना क्षेत्राधिकार इंतकाल करने का निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। इसलिए निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने योग्य है।
4. यह कि अपीलांटा प्यारा सिंह की लडकी है, प्यारा सिंह की उतराधिकारी है, इसलिए अपीलांटा प्रभावित पक्षकार है। प्रभावित पक्षकार को नोटिस देकर उसको बुलाकर सुनकर अपीलांटा को सबूत पेश करने का अवसर देकर ही कोई निर्णय पारित किया जाना चाहिए था मगर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांटा प्रभावित पक्षकार को बुलाए सुने एकतरफा तौर से निर्णय पारित कर दिया, अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतो की पालना किये बगैर पारित किया गया है, इसलिए निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने योग्य है।
5. यह कि रेस्पोंडेंटान सं० 1 ता 4 किसी प्रकार से वसीयत को साबित नहीं कर सके, बिना वसीयत साबित किये ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

6. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जल्दबाजी में आदेश पारित किया गया, रेस्पोडेंटान सं० 1 ता 4 द्वारा दिनांक 14.01.2020 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, दिनांक 16.01.2020 को अखबार में छाया किया, जिस अखबार में छाया किया गया वह अखबार अपीलांटा के गांव में आता ही नहीं है तथा उक्त अखबार शहर में भी बहुत कम मिलता है जिससे कि विज्ञप्ति की जानकारी किसी को ना हो सके। इसलिए निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने योग्य है।
7. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर की परिभाषा में नहीं आता है, अधीनस्थ न्यायालय ने यह कहीं अंकित नहीं किया की वसीयत सही है, इसलिए निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध होने से खारिज करने योग्य है।
8. यह कि अधीनस्थ न्यायालय को स्व० प्यारा सिंह के सभी उतराधिकारियों को नोटिस जारी करना चाहिए था, सभी प्रभावितों को बुलाकर सुनकर ही कोई निर्णय पारित किया जा सकता था मगर ऐसा ना करके अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी भूल की है।
9. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटा को कोई नोटिस नहीं दिया, इस वजह से अपीलांटा को निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी, इस निर्णय की जानकारी तब हुई जब अपीलांटा पटवारी हल्का 500 एल एन पी से जमाबंदी की नकल लेने के लिए गई तो पटवारी हल्का ने कहा कि प्यारा सिंह की अन्य कोई जमीन नहीं है, इस जमीन का तो आगे इंतकाल हो गया है। पता चलते ही उसी रोज पटवारी हल्का से इंतकाल की नकल मांगी तो पटवारी हल्का ने नकल दिनांक 29.07.2020 को दी, नकल लेकर वकील से सम्पर्क किया तो उन्होने नायब तहसीलदार, हिन्दुमलकोट को दिनांक 29.07.2020 को निर्णय की प्रमाणित प्राप्त करने के लिए दरख्वास्त दी, निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 29.07.2020 को मिली, अतः इलम से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है, जानबूझकर कोई देरी व लापरवाही नहीं की गई बल्कि देरी उपरोक्त कारणों से हुई है।

लिहाजा अपील अपीलांटा पेश करके अर्ज है कि अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 31.02.2020 को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकृत आदेश दिनांक 31.01.2020 पारित करने से पूर्व पक्षकारों को विधिवत् सूचना जारी की गई है। समाचार पत्र के माध्यम से सूचना प्रकाशित करवाई गई है। वसीयत के गवाहान से वसीयत का सत्यापन करवाया गया है। समस्त विधिक औपचारिकताओं के उपरांत अपीलकृत आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। वसीयत उप पंजीयक हिन्दुमलकोट द्वारा रजिस्टर्ड की गई है। निर्धारित शुल्क जमा करवाया गया है। उप पंजीयक हिन्दुमलकोट के समक्ष गवाहान उपस्थित हुए हैं, जिन्होनें वसीयत का सत्यापन्न किया है। पंजीकृत वसीयत के आधार पर अधीनस्थ

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। यदि अपीलार्थी से पंजीकृत वसीयत से व्यथित है तो उसे सक्षम न्यायालय में चुनोति दी जानी चाहिये। अतः अपीलांट की अपील सारहीन है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् है। अतः अपील खारिज किये जाने का आदेश पारित किया जावें।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांटा के दादा खजान सिंह को भारत सरकार द्वारा भूमि आवंटन की गई थी। अपीलांट के दादा खजान सिंह की मृत्यु के बाद प्यारा सिंह अपीलांटा के पिता को चक 500 एल एन पी में 12 बीघा 10 बिस्वा रकबा प्राप्त हुआ तथा उस जमीन को बेचकर चक 500 एल एन पी के मु०न0 64 के किला न0 11,20,21 में 0.404 हैक्टेयर व मु० न० 68 के किला न0 5,6 में कुल 0.240 हैक्टेयर रकबा खरीद किया था। उक्त विवादित भूमि अपीलांटा के दादा से अपीलांटा के पिता को प्राप्त हुई थी, उसे बेचकर ही खरीद की थी। यह जमीन संयुक्त परिवार की थी, प्यारा सिंह का स्वर्गवास दिनांक 20.06.2019 को हो गया, जिसके जायज वारिसान उसकी पत्नी गुरमीत कौर, जोगेन्द्र सिंह, लखविन्द्र सिंह, गुरजंट सिंह व छिन्द्र कौर, स्वर्णजीत कौर, परमजीत कौर है। हिन्दु उतराधिकार अधि० के तहत् प्रत्येक का 1/7 हिस्सा बनता था। मगर रेस्पोंडेंट सं० 1 ता 4 द्वारा एक फर्जी वसीयत तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर बिना अपीलांटा को सुने ही यकतरफा तौर पर रेस्पोंडेंटान के नाम इंतकाल दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। अपीलांटा के पिता प्यारा सिंह को वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था क्योकि उसने अपने पिता से प्राप्त भूमि बेचकर ही उपरोक्त रकबा खरीद किया था, इसलिए उपरोक्त भूमि प्यारा सिंह की स्वअर्जित भूमि नहीं थी। अपीलांटा प्यारा सिंह की लडकी है, प्यारा सिंह की उतराधिकारी है, इसलिए अपीलांटा प्रभावित पक्षकार है। प्रभावित पक्षकार को नोटिस देकर उसको बुलाकर सुनकर अपीलांटा को सबूत पेश करने का अवसर देकर ही कोई निर्णय पारित किया जाना चाहिए था मगर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांटा प्रभावित पक्षकार को बुलाए सुने एकतरफा तौर से निर्णय पारित कर दिया, अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतो की पालना किये बगैर पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 31.02.2020 को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि रेस्पो0 सं0 1 ता 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वसीयतकर्ता प्यारा सिंह का देहान्त दिनांक 20.06.2019 को हो चुका है। अतः वसीयत के आधार पर अमल दरामद का आदेश फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार भूमि स्वअर्जित है, जिसमें किसी प्रकार का विवाद एवं स्थगन नहीं है। वसीयत अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाना उचित बताया है। वसीयतकर्ता

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

प्यारा सिंह द्वारा दिनांक 10.06.2019 को रजि0 वसीयत उप पंजीयक हिन्दुमलकोट कार्यालय में करवाई गई थी। वसीयतकर्ता प्यारा सिंह को देहान्त दिनांक 20.06.2019 को हो जाने के बाद दिनांक 14.01.2020 को विधिसम्मत् प्रकिया अपनाते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 द्वारा आवश्यक दस्तावेज एवं गवाहान के शपथ पत्र प्रस्तुत कर, रजि0 वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 17.01.2020 के अनुसार वसीयत में वर्णित भूमि स्पष्टतः स्वंय अर्जित है। पटवारी हल्का द्वारा विस्तृत रिपोर्ट की गई है। समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित होने की समयावधि के बाद, कोई आपति प्राप्त न होने की दशा में, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकृत आदेश दिनांक 31.01.2020 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकृत आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीकृत वसीयत के आधार पर विधिसम्मत् कार्यवाही कर, अपीलकृत आदेश दिनांक 31.01.2020 पारित किया गया हैं। फलस्वरूप, अपील अपीलांट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति रेकार्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 18.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर